प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री गफूर, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-11850/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023 दिनांक-11.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री गफूर, ग्राम-सरॉवा, थाना-इटौंजा, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.11.2005 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर राम शंकर शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 646, 648/2006, धारा-302/34 आईपीसी व 3/25 ए० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०)एक्ट, लखनऊ के आदेश दिनांक 06.07.2018 द्वारा क्रमश: आजीवन कारावास एवं 02 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगीं। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 27 दिन तथा 14 वर्ष, 09 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.11.2005 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर राम शंकर शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

सिद्धदोष बंदी मुन्ना पुत्र गफूर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना(बन्दी संख्या-99/2019) पुत्र श्री गफूर, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या- 931/2025/1023(1)/22-2-2023 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 931/2025/1023/22-2-2023-17(1670)/2022

दिनांक 31 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री गफूर, ग्राम-सरॉवा, थाना-इटौंजा, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.11.2005 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर राम शंकर शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 646, 648/2006, धारा-302/34 आईपीसी व 3/25 ए० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०)एक्ट, लखनऊ के आदेश दिनांक 06.07.2018 द्वारा क्रमश: आजीवन कारावास एवं 02 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगीं। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 27 दिन तथा 14 वर्ष, 09 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.11.2005 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर राम शंकर शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुन्ना पुत्र गफूर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।